

49

467  
संख्या/2017/1044/69-1-15-35(310सा0-37)/2015

क.

एच0पी0 सिंह

विशेष सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ, दिनांक : 03 जून 2015

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5220/15/छ:06/2012-13, दिनांक 16 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-सहारनपुर की न0निगम सहारनपुर व न0प0 ननौता की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 05 परियोजनाओं हेतु कुल ₹0 615.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 307.61 लाख (रुपये तीन करोड़ सात लाख इकसठ हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

प्र. प्र. प्र. (ल. अ. वि. व. ए. ए.) ल. प्र. प्र. 21

क्रमशः.....2

TR  
5/6/15

प्र. प्र. प्र. 6/15

635/Te/12




4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासकीय निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।



16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिनकी 31 मार्च 2015 तक वसूली हो सके।
2. उपर्युक्त व्यवस्था वित्तिय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनागत गैर परामर्शित व 2 में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-विभागा-03-सम्वित्त बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नाम डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,


  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-467/2015/1044 (1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

| क्र० सं० | जनपद का नाम | जिला का नाम<br>नगर पंचायत का नाम। | बम्ती/बाई का नाम/कार्य का विवरण।  | परियोजना की कुल लागत। | प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि। |
|----------|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1        | 2           | 3                                 | 4   | 5                     | 6   |
| 1        | सहायनपुर    | नगर जिला<br>सहायनपुर              | कमला कालोनी में राजी मोदाम से खान साहब की दुकान तक, तासिब के मकान से अफाक के मकान होते हुये अकबर हाट के मकान तक, अब्दुल शकूर बंगाली के मकान से इकराम, कल्लू, इनाम की दुकान तक, कमीला रोड से इफ्फान, शराफत इनाम इल्साही, दिलशाद, शहिद पहलवान, रियासत, जुबेर, इजहार बिहारी, हाजी रिजवान के मकान होते कुरवान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।   | 103.85                | 51.925  |
| 2.       | तदैव        | तदैव                              | झाल के पुल से कमरुद्दीन की दुकान तक, एकता कालोनी की पुलिया से कमला कालोनी की पुलिया तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।   | 115.09                | 57.545  |
| 3.       | तदैव        | तदैव                              | न्यू ऐरा स्कूल से इनाम कालोनी तक, इनाम कालोनी से एकता कालोनी तक एवं एकता कालोनी से कमला कालोनी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।  | 112.61                | 56.305  |
| 4.       | तदैव        | तदैव                              | इनाम कालोनी में इरफान परचूनिया के मकान से जहीर अहमद के मकान तक, शराफत के मकान से अब्दुल वहब के मकान तक, नईम मुतवल्ली के मकान से नफीस के मकान तक, अय्यूब परचूनिया के घर से अमीर अहमद के घर तक, रमजान शकील के मकान से राजा के मकान तक, सराजूद्दीन के मकान से हुस्नूर के मकान तक, छोटा के मकान से फुरकान के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियां, मुर्तजा के मकान से खालिक वकील के मकान तक, अब्दुल सलाम के मकान से कोसार के मकान तक, यामीन मस्जिद से शकील के मकान तक, बिलाल के मकान से जहाँगीर के मकान तक, सलतार के मकान से मीर अहमद के मकान तक एवं हाफिज मोमीन के मकान से इरशाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण। | 115.83                | 57.915  |
| 5.       | तदैव        | न0प0<br>नानाता                    | हाजी अकबर कालोनी में ईदगाह से दिल्ली रोड पर अरबी मटरसा से अब्बास के घर तक, हाजी अकबर कुरैशी के घर से अमीर के घर तक, देवबन्द रोड से श्याम सिंह के घर तक, मांगा हाउस से देशराज के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण।  | 77.84                 | 38.92   |
| योग      |             |                                   |   | 615.22                | 307.61  |

(रूपये तीन करोड़ सात लाख इकसठ हजार मात्र)।

  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।